उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग- 3
संख्या: 260 / वि. अनु. 3/2002
देहरादून: दिनांक: 15 फरवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के एक सेवा विभाग (Service Deptt.) द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कोई सेवा व सम्पूर्ति वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिए की जाती है इस सिद्धान्त के अनुसार एक सेवा विभाग द्वारा कोई भूमि या भवन जिसकी उस विभाग को आवश्यकता न हो, दूसरे सेवा विभाग को बिना मूल्य लिए हस्तान्तरित की जा सकती है। परन्तु ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होती है । वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि भूमि हस्तान्तरण के मामलों मे प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जायें। प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय प्रशासकीय विभागों के सचिवों को राज्य के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रतिनिहित करते हैं।

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। इन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ।

2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।

3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं ।

4. यदि भूमि वन विभाग की "रक्षित वन भूमि " हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी "रक्षित वन भूमि" बनी रहेगी । "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने के साथ ही लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं कराई जायेगी ।

5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित "भूमि को कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा ।

6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए आवश्यक की जाय तो उसके लिए उस विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि

---2---

भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा ।

7. सीमा सड़क संगठन को अन्य सेवा विभागों की आरक्षित भूमि सड़क निर्माण हेतु वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी ।

8. उत्तरांचल राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखितरूप से प्राप्त कर ली गई है ।

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 में आवश्यक संशोधन यथा समय अलग से किए जायेंगे ।

(के० सी० मिश्र)
अपर सचिव ।

संख्या: 260 /वित्त अनुभाग-3/2002, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) समस्त सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन ।

(2) महालेखाकार, उत्तरांचल ।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव, वित्त ।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं नियमावली में राज्य गठन के बाद हुए महत्वपूर्ण संशोधनो का तुलनात्मक विवरण

अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	पूर्ववर्ती व्यवस्था	वर्तमान व्यवस्था
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2004, अधिसूचना सं0–501/ विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 दि0–15.1.2004	1. मूल अधिनियम में धारा 129ख का प्राविधान नहीं था।	उक्त अधिसूचना द्वारा अधिनियम में धारा 129ख जोड़ी गई जिसके अंतर्गत 250 वर्गमीटर तक आवासीय प्रयोजन हेतु एवं औद्योगिक क्षेत्रों व धार्मिक प्रयोजनों के लिए बिना अनुमति भूमि क्रय करने वाले, सहित जिलाधिकारी से कृषि/औद्यानिकी हेतु एवं शासन की अनुमति से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय करने वाले भूमिधरों की एक विशेष श्रेणी "विशेष श्रेणी के भूमिधर" (श्रेणी 1ग) का प्राविधान किया गया।
	2. पूर्व में विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।	उक्त अधिसूचना द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु बिना किसी अनुमति से अपने परिवार की ओर से अपने जीवनकाल में अधिकतम 500 (वर्तमान 250 वर्ग मीटर) भूमि क्रय एवं कतिपय प्रयोजनों को छोड़कर अधिनियम की धारा 154 (4)(3)(क) एवं (ख) के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोजनो के लिए शासन से एवं कृषि एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी की अनुमति से भूमि क्रय का प्राविधान किया गया है एवं इन्हें विशेष श्रेणी के भूमिधर के रूप में घोषित करते हुए 2 वर्ष के भीतर निर्धारित प्रयोजन पूर्ण करने की अनिवार्यता रखी गई।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2005, अधिसूचना सं0– 610/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दि0–31.10.2005	अधिनियम की धारा 143, 169, 171 में संशोधन किया गया।	इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 143 में संशोधन अधिनियम 2003 के प्रभावी होने का शब्द सम्मिलित किये जानेसहित धारा 171 में भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में श्रेणी कम को संशोधित किया गया है।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2006, अधिसूचना सं0– 839/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006 दि0–17.10.2006	इस संशोधन द्वारा धारा 3 (8–9), 168क एवं 178–182 का लोप कर दिया गया।	विशेष उपबंध के रूप में धारा 168क के अंतर्गत शून्य संक्रमण को एक वर्ष का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिमान्य किये जाने की व्यवस्था की गई।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2007, अधिसूचना सं0– 1109/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007 दि0–16.7.2007	पूर्व अधिसूचना दि0–15.1.2004 द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के 500 वर्गमीटर भूमि क्रय करने की व्यवस्था थी।	इस अधिसूचना द्वारा इसे 500 वर्गमीटर से घटाकर 250 वर्गमीटर कर दिया गया। धारा 154(4)(2)(व) का लोप कर दिया गया।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2012, अधिसूचना सं0–179/XXXVI(3)/2012–140(1)/2012 दि0–13.6.2012	पूर्व अधिसूचना दि0–15.1.2004 द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के 500 वर्गमीटर भूमि क्रय करने की व्यवस्था थी।	धारा 161 का संशोधन करते हुए इसके परन्तुक को पर्वतीय क्षेत्रों में 3 वर्षों तक लागू होने के लिए निषिद्ध किया गया।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन नियमावली, 2004 अधिसूचना सं0– 943/18(1)/2004 दि0–24.9.2004	पूर्व में विशेष श्रेणीधर के भूमिधरों को खतौनी में पृथक से अंकित किए जाने का कोई व्यवस्था नहीं थीं।	प्रश्नगत संशोधन द्वारा विशेष श्रेणी के भूमिधरों को अंकित किए जाने के लिए खतौनी में श्रेणी 1ग का प्राविधान किया गया। इस संशोधन द्वारा जिलाधिकारी एवं शासन स्तर से भूमि क्रय की अनुमति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन नियमावली, 2007 अधिसूचना सं0–189/18(1)/2007 दि0–9.5.2007	पूर्व में संगत नियमावली के नियम 116ट में यह व्यवस्था थी भूमि कय की अनुमति के मामले में 90 दिन के अंदर निर्णय/सूचना नहीं मिलने पर आवेदन कर्ता द्वारा शपथ पत्र के आधार पर भूमि कय की जा सकेगी तथा ऐसे शपथ पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सबरजिस्ट्रार द्वारा शासन को प्रेषित की जाएगी।	प्रस्तावित संशोधन द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि को समाप्त कर दिया गया एवं इसके स्थान पर ऐसे आवेदन पत्रों का समुचित समयावधि में निस्तारित नहीं किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के रूप में उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने का प्राविधान किया गया।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन नियमावली, 2010 अधिसूचना सं0–95/18(2)/2010 दि0–11.1.2010	पूर्व में भूमि कय की अनुमति की वैधता अवधि शासनादेश की तिथि से 180 दिन के लिए निर्धारित थी।	प्रस्तावित संशोधन द्वारा यह प्राविधान किया गया कि जहां दी गई अनुमति के कम में भूमि का बैनामा वैधता अवधि (180 दिन) में निष्पादित न हो सका हो वह शासन, शपथ पत्र में उल्लिखित ऐसे अपरिहार्य कारणों पर विशिष्ट मामलों में सम्यक विचारोपरान्त अनुमति की वैधता अवधि को 6–6 माह के लिए 2 बार अर्थात कुल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा।

क्रम संख्या—16

पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०एन०—30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई०
पौष 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 501/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 13—01—04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, (जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन तथा विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित किया गया है)

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, वर्ष 2003)

अधिनियम

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में संशोधन के उद्देश्य से भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम में धारा 129-ख का जोड़ा जाना

2\. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 129-क के बाद एक नयी धारा 129 ख निम्नवत् जोड़ दी जायेगी-

129-ख-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ख), 154(4)(2)(च), तथा 154(4)(3) के प्रयोजनों के लिये निम्नवत् श्रेणी के भूमिधर कहलायेंगे-

(1) विशेष श्रेणी के भूमिधर।

मूल अधिनियम में धारा 152-क का जोड़ा जाना

3\. मूल अधिनियम की धारा 152 के बाद एक नयी धारा 152-क निम्नवत् जोड़ दी जायेगी-

(1) 152-क-संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि अंतरण हेतु कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा 171, 172, 174 अथवा 175 के अन्तर्गत आते हैं और ऐसा मुख्तारनामा ऐसे व्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जिले के कलेक्टर की पूर्वानुमति से अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में भारतीय दूतावास की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

(2) जब तक बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है, दिनांक 12-09-2003 को अथवा उससे पहले निष्पादित भूमि के विक्रय हेतु पंजीकृत मुख्तारनामा वैध होगा यदि ऐसे मुख्तारनामा के आधार पर 31-03-2004 या उससे पहले मुख्तारनामे में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना, विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो।

मूल अधिनियम की धारा 154 में उपधारा (3), (4) और (5) का जोड़ा जाना

4\. (3) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उत्तरांचल राज्य के धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के खातेदार अथवा उत्तरांचल में स्थित किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी जिसने 12-09-2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति, पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित, माता-पिता, दादा-दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, पृथक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, के पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकेगा।

(4)(1) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी और नाबालिग संतान से है) भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तरांचल में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है;

(ख) जब तक कि बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है, भूमि के विक्रय हेतु 12-09-2003 को या उससे पहले निष्पादित पंजीकृत विक्रय के करार के विलेख पर, ऐसे विलेख में उपबंधित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना दिनांक 31-03-2004 तक निष्पादित विक्रय विलेख वैध होगा।

(4)(2) धारा 154(3) की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का अंतरण निषिद्ध है–

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा सांविधिक संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्व का हो एवं उसके द्वारा नियंत्रित हो;

(ख) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रह गया हो–

(1) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहीत की गयी हो; अथवा

(2) यदि उसकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में निहित हो गयी हो;

(ग) कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद् अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य सांविधिक निगम से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना चाहता है अथवा बना–बनाया मकान या दुकान खरीदता है;

(घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा (ले आउट प्लान) अनुमोदित कर दिया गया है;

(ङ) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र, (2) औद्योगिक क्षेत्र, (3) औद्योगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता है;

(च) धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा न्यास;

(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर; अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति; अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी; अथवा

(ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।

(4)(3) (क) धारा 154 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्यानिकी से भिन्न निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायें, भूमि क्रय कर सकता है–

(i) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये, यदि वह उत्तरांचल की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति के अनुरूप हो;

(ii) किसी होटल, ठहरने का स्थान, अतिथि गृह, भोजनालय, मद्यशाला, सखनिज झरना, मार्ग में सुविधायें अथवा सैरगाह के लिये यदि वह राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप हो;

(iii) शिक्षा विभाग की संस्तुति पर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये;

(iv) सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिये;

(V) धारा 154 (4)(2) के उपखण्ड (ख) में उल्लिखित स्थलों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ।

(ख) कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा कम्पनी कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजनों के लिए इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल कृषि अथवा औद्यानिकी हेतु और ऐसे उपयोगों के लिये किया जायेगा जो कृषि अथवा औद्यानिकी से सम्बन्धित तथा आनुषांगिक हो, जनपद के कलेक्टर की पूर्व अनुमति से भूमि क्रय कर सकेगा। यदि शपथ–पत्र में उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो अन्तरण शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि वह खातेदार नहीं है किन्तु धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ख), तथा 154(4)(2)(घ) के अधीन भूमि बिना स्वीकृति के क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तो धारा 129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि ऐसा भूमिधर बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बंधक या दृष्टिबंधित कर सकेगा तथा धारा 129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो खातेदार नहीं है, जो बिना अनुमति के धारा 154(4)(2)(ख), 154(4)(2)(घ) के अधीन भूमि क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन जिसमें भूमि क्रय करने की अनुज्ञा शासन अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की गयी है, दो वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(5) यदि–

(क) निबंधक अथवा उपनिबंधक के समक्ष जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किये गये हों, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित कोई विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि

इस अन्तरण से धारा 154(3) अथवा 154(4)(3) का उल्लंघन होता है;
अथवा

(ख) किसी राजस्व अधिकारी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का अन्तरण किया गया है उससे धारा 152–क, 154(3), 154(4)(2)(ख), 154(4)(2)(ग) अथवा (ङ), 154(4)(3) के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो वह उप निबन्धक, निबन्धक अथवा राजस्व अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस जिले के कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा जिसमें वह भूमि अथवा उसका भाग स्थित है, तो वह उस रीति से जैसा विहित किया जाय, यह विनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन है और ऐसा प्रत्येक अन्तरण जो कि शून्य है, के सम्बन्ध में धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(ग) (1) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर या स्वयं किसी कार्यवाही या वाद के अभिलेख, उसकी या उस पर पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे;

(2) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाय।

5\. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन एवं अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।

No. 501/Vidhayee And Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, January 15, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaption and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 29 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January, 2004.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2003

(AS REPORTED BY SELECT COMMITTEE OF THE HOUSE AND PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

(UTTARANCHAL ACT NO. 29 OF 2003)

AN

ACT

To amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) Adaptation and Modification Order, 2001 in it's application to the State of Uttaranchal.

Be it enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of State of Uttaranchal except the areas included and may be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

Addition of section 129-B in the principal Act

2. **A new section 129-B shall be added after section 129-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as follows--**

129-B--There shall be, for the purposes of section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) and 154(4)(3) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as the principal Act) following class of Bhumidhar, i.e. to say-

(1) Bhumidhar of special category.

Addition of section 152-A in the principal Act

3. **A new section 152-A shall be added after section 152 of the principal Act as follows--**

(1) Section 152-A--A bhumidhar with transferable rights may execute power of attorney for transfer of land in favour of persons who are covered under section 171, 172, 174 or 175, and in case no such person is existing, such Power of Attorney may be executed in favour of any other person with the prior permission of the collector of the district or of the Indian consulate in case of persons living abroad.

(2) A registered Power of Attorney to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such Power of Attorney is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in such Power of Attorney, unless extended by the collector of the district for reasons to be recorded in writing.

Addition of sub-sections (3), (4) and (5) in section 154 of the principal Act

4. **Three new sub-sections (3), (4) and (5) shall be added in section 154 of the principal Act as follows--**

(3) A bhumidhar with transferable rights may sell his land to any of the categories of tenure holders in the State of Uttaranchal as mentioned in section 129 or such owner of any immovable property in Uttaranchal who has acquired it on or before 12-09-2003 or to any member of the 'family', which means husband, his wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand parents, brothers and unmarried, widowed, seperated and divorced sisters of such tenure holder of the owner, as the case may be.

(4) (1) (a)--Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, any person on behalf of his family (which means husband, wife and minor children), even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttaranchal, may purchase land not exceeding 500 sq. mts. in his lifetime without the permission;

(b) A registered agreement to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such agreement is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in the agreement, unless extended by the collector of the district for reasons to be recorded in writing.

(4) (2) Nothing in sub-section 154 (3) shall be deemed to prohibit the transfer of land by any person in favour of--

(a) the State Government or Central Government or a Government company, as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 or a Statutory Body or Corporation or Board established by or under a Statute and owned and controlled by the State or Central Government;

(b) a person who has become a non-tenure holder on account of--

(i) acquisition of his land for any public purpose under the Land Acquisition Act, 1894; or

(ii) vestment of his land in the tenants under this Act;

(c) a non-tenure holder who purchases or intends to purchase land for the construction of a house or shop, or purchases a built-up house or shop from the State Housing Board or from a Development Authority or from any other Statutory Corporation set up under any State of Central enactment.

(d) a person who proposes to purchase land from a person in whose favour a layout plan has been approved by the competent authority;

(e) a person or company according to Industrial Policy of Uttaranchal in (i) Integrated Industrial Development Centre (ii) Industrial Area (iii) Industrial Estates.

(f) a person, society or trust for religious purposes.

(g) a landless labourer of the Uttaranchal; or

(h) a landless person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe of the Uttaranchal; or

(i) a village artisan of the Uttaranchal; or

(j) a landless person carrying on an allied pursuit of the Uttaranchal.

(4) (3) (a) Subject to restrictions contained in section 154, a person, society of corporate body may purchase land for the following purposes, other than those for Agriculture and Horticulture purposes, with the prior sanction of the Government in the State of Uttaranchal as may be prescribed--

(i) Medical or health purposes, if it conforms to the Health and Population Policy of Uttaranchal;

(ii) Hotel, Lodge, Guest House, Restaurant, Bar, Spa, way side amenities or resort, if it conforms to the Tourism Policy of the State;

(iii) Educational purposes, on the recommendations of the Deptt. of Education;

(iv) Cultural purposes;

(v) For industrial purposes in areas other than those mentioned in section 154(4)(2)(e) or for other purposes.

(b) A person, society or company may purchase land with prior sanction of the Collector of the district for Agricultural or Horticultural purposes, as may be prescribed, on furnishing an affidavit to the effect that such land will be used for Agricultural or Horticultural purposes and for uses incidental to and connected with Agriculture or Horticulture only. If the land use of such land as mentioned in the Affidavit is changed, the said transfer shall be void and consequences of section 167 shall follow :

Provided that a person who is a non-tenure holder but purchases land either under section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e) and 154(4)(2)(f) or under the sanction granted under section 154(4)(3) shall, irrespective of such purchase of land, continue to be a bhumidhar of special category as provided under section 129-B and such bhumidhar shall be eligible to purchase land in future only with the permission, of the State Government or collector of the district as the case may be.

Provided further that such bhumidhar may mortgage or hypothecate such land for obtaining loan from banks and financial institutions or deriving any other benefit accruing from his bhumidhari rights under section 129.

Provided further that a non-tenure holder who has purchased land under section 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) and who has purchased land under section 154(4)(3) under the sanction of Govt. of Collector, as the case may be, shall put land to such use for which the sanction has been granted within a period of two years or further such period as may be allowed by the State Government for reasons to be recorded in writing, to be counted from the date of registration of sale deed and if he fails to do so or diverts the use of the land for which it was sanctioned or transfers the land by way of sale, gift or otherwise except for the purpose for which it was purchased, such transfer shall be void for the purpose of this Act, and consequences of section 167 shall follow--

(5) Where,

(a) the Registrar or Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908 before whom any document pertaining to transfer of land is presented for registration comes to know or has reason to believe that the transfer of land is in contravention of section 154 (3) or 154 (4) (3); or

(b) a Revenue Officer either on an application submitted to him or on receipt of any information from any source comes to know or has reason to believe that the land has been transferred in contravention of the provisions of section 152-A, 154(3), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) or 154(4)(3), such Sub-Registrar, Registrar or Revenue Officer, as the case may be, shall make a reference to the collector of the district, who shall determine whether the transfer is in contravention of the provision of this Act in the manner prescribed and the consequences of section 167 shall follow in respect of every transfer which is void.

(c) (1) The State Government may, either on the report of a Revenue Officer or on an application by any person or of its own motion, call for the records of any proceedings or case for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as it may think fit.

(2) No order shall be passed under this sub-section which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

Repeal and Savings

5. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done to taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 12 विधायी/31-2004-2,000 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–137(घ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई0
कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 610 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 25, सन् 2005 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 25, सन् 2005)

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) का संशोधन।

धारा 143 का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) में, "(इस धारा को छोड़कर)" कोष्ठक एवं शब्दों के स्थान पर "[इस धारा और उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 जो 15–01–2004 से प्रभावी है, द्वारा किये गये उपबन्धों को छोड़कर]" शब्द, अंक एवं कोष्ठक रखे जायेंगे।

धारा 169 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (3) में "लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होगी" शब्दों के स्थान पर "लिखित, दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत होगी" शब्द रखे जायेंगे।

धारा 171 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात :–

"(2) किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार, उपधारा(1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराधिकारी हैं, अर्थात :–

(क) विधवा और पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार:

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, तो मिलता;

(ख) माता और पिता;

(ग) अविवाहिता पुत्री;

(घ) विवाहिता पुत्री;

(ङ) भाई और अविवाहिता बहिन, जो क्रमशः एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी पिता का पुत्र हो जिसका मृतक पुत्र था;

(च) पुत्र की पुत्री;

(छ) पितामही और पितामह;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) विवाहिता बहिन;

(ञ) सौतेली बहिन, जब उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था;

(ट) बहिन का पुत्र;

(ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहिन उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था;

(ड) भाई के पुत्र का पुत्र;

(ढ) नानी का पुत्र;

(ण) पितामह का पौत्र।"

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 25 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 28, 2005.

No. 610/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, October 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT NO. 25 OF 2005)

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttaranchal.

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :-

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as amended from time to time (as applicable in the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as the principal Act).

Amendment of Section 143

2. In sub-section (2) of section 143 of the Principal Act, for the words and brackets "(other than this section)", the words, figures and brackets, "[other than this section and provisions of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003, effective from 15.01.2004]" shall be substituted.

Amendment of Section 169

3. In section 169 of the Principal Act, in sub-section (3), for the words "be in writing and attested by two persons" the words "be in writing, attested by two persons and registered" shall be substituted.

Amendment of Section 171

4. In section 171 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(2) the following relatives of the male bhumidhar or asami are heirs subject to the provisions of sub-section (1) , namely :-

(a) widow and the male lineal descendant per strips :

Provided that the widow and the son of a predeceased son how low-so-ever per strips shall inherit the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

(b) mother and father;

(c) unmarried daughter;

(d) married daughter;

(e) brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased; and son of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;

(f) son's daughter;

(g) father's mother and father's father;

(h) daughter's son;

(i) married sister;

(j) half sister, having been the daughter of the same father as the deceased;

(k) sister's son;

(l) half sister's son, the half sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(m) brother's son's son;

(n) mother's mother's son;

(o) father's father's son's son."

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 47 विधायी/433–2005–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–151

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2006 ई०
आश्विन 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 839/विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग/2006
देहरादून, 17 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 12, सन् 2006 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2006)

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 (8—क) का लोप

2. समय-समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 का खण्ड (8—क) का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 168—क का लोप

3. मूल अधिनियम की धारा 168—क का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 178, 179, 180, 181 और 182 का लोप

4. मूल अधिनियम की धाराओं क्रमशः 178, 179, 180, 181 और 182 का लोप कर दिया जायेगा।

विशेष उपबन्ध

5. किसी भूमि के टुकड़े के किसी संक्रमण को जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विद्यमान था और जो धारा 168—क के अधीन शून्य हो गया हो एवं जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गयी थी, शून्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, जमा करके विधिमान्य करा सकता है:

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध प्रस्तावित अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जायेंगे:

परन्तु यह और कि उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत 500 वर्ग मी0 से अधिक भूमि क्रय करने के मामलों के निर्धारित अनुमति की अनिवार्यता पूर्ववत् बनी रहेगी।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 15, 2006.

No. 839/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, October 17, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2006

(UTTARANCHAL ACT No. 12 OF 2006)

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttaranchal

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-seventh year of the Republic of India as follows :--

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2006. Short Title, Extent and Commencement

(2) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

2. Clause (8-A) of section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as amended from time to time and as applicable in the State of Uttaranchal (hereinafter referred to as the principal Act) shall be omitted. Omission of Section 3(8-A)

3. Section 168-A of the principal Act, shall be omitted. Omission of Section 168-A

4. Section 178, 179, 180, 181 and 182 respectively of the principal Act shall be omitted. Omission of Section 178, 179, 180, 181 and 182

5. Any transfer of fragment of land which had become void under Section 168-A as it stood before the commencement of this Act and which had not been entered in Revenue Record, in favour of State Government, shall be deemed to have been voidable and any person may get such transfer validated by depositing such fee and with in such time and in such manner as may be notified by the State Government: Special Provision

Provided that the above provisions shall cease to be in force after expiry of one year from the date of commencement of this Act:

Provided further that for the purchase of land in excess of 500 Sq.mts., the permission as prescribed under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003 shall continue to remain in force.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 27 विधायी/512–2006–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–104

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 जुलाई, 2007 ई0
आषाढ़ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1109/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007
देहरादून, 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम सं0 03, सन् 2007 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2007)

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) का प्रतिस्थापन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(4)(1)(क)–"इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं या परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिग सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता–पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है।"

मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) का संशोधन एवं लोप

3–(क) मूल अधिनियम के हिंदी पाठ की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) में उल्लिखित शब्द "नक्शा" को हटा दिया जायेगा।

(ख) मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) का लोप कर दिया जायेगा।

निरसन एवं अपवाद

4–(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 03 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 13, 2007.

No. 1109/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, July 16, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT NO. 03 OF 2007)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttarakhand to control the uncontrolled sale and purchase of agricultural land in the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows :--

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of sub-section (4) (1) (a) of section 154 in the principal Act

2. In place of existing sub-section (4) (1) (a) of section 154 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (hereinafter referred to as principal Act) the following sub-section shall be substituted, namely :--

(4)(1)(a)--Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, "any person for his own or on behalf of his family (which means husband, his wife, minor children, unmarried sons, unmarried daughters and dependent parents) even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttarakhand, may purchase land not exceeding 250 sq. mts. for residential purpose in his lifetime without the permission".

Amendment and Omission of sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act

3. (a) In sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the Hindi version of the principal Act, the word "Naksha" shall be omitted.

(b) Sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act shall be omitted.

Repeal and Savings

4. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done to taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 28 विधायी / 336–2007–100+400 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–115

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 13 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 23, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 179 / XXXVI(3) / 2012 / 40(1) / 2012

देहरादून, 13 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012"** पर दिनांक 11 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2012]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार स्वैच्छिक चकबंदी के लिए निर्गत अधिसूचना के अधीन पर्वतीय तहसीलों के राजस्व ग्रामों में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 161 का संशोधन

2\. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 161 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक निम्नवत और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 53–क के अधीन ऐसे राजस्व ग्रामों में, जहाँ स्वैच्छिक चकबंदी हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना निर्गत की गयी है, पर प्रथम परन्तुक के उपबन्ध, ऐसी अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक लागू नहीं होंगे।"

आज्ञा से,

अजय चौधरी,

अपर सचिव।

No. 179/XXXVI(3)/2012/40(1)/2012
Dated Dehradun, June 13, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 10 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 June, 2012.

The Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2012

[Uttarakhand Act No. 10 of 2012]

An

Act

to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reform (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be extend to the hilly tehsils under the issued notification for the voluntary consolidation.

(3) It shall be come into force at once.

Amendment of section 161

2. After proviso of sub-section (1) of section 161 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand), a new proviso shall be added as follows: namely :-

"Provided further that in such revenue villages where the notification is issued under section 4 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act, 1953, the provisions of first proviso shall not be applicable till three years from the commencement of such notification of section 53-A of the said Act."

By Order,

AJAY CHAUDHARY,
Additional Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 50 विधायी / 344–2012–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–126

रजिस्ट्रीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2004 ई०

आश्विन 02, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

राजस्व विभाग

संख्या 943/18(1)/2004

देहरादून, 24 सितम्बर, 2004

अधिसूचना

प०आ०–149

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 230, 294 तथा 344 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (यथा उत्तरांचल में लागू) में कतिपय संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

   (2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नये नियम 116–क से 116–ङ का बढ़ाया जाना

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में, वर्तमान नियम 116 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम 116–क से 116–ङ बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(1) 116–क विशेष श्रेणी के भूमिधर के लिए एक अलग श्रेणी बनाया जाना, धारा 129 ख–धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ख), 154(4)(2)(च) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति अथवा 154(4)(3) के अन्तर्गत अनुमति से भूमि खरीदे जाने पर राजस्व अभिलेख में दाखिल खारिज कार्यवाही के अधीन विशेष श्रेणी के भूमिधर को खतौनी में श्रेणी 1–ग में अंकित किया जायेगा।

(2) 116–ख संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को विरासत में आने वाले परिवारजनों से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में मुख्तारनामा करने का अधिकार, धारा 152 (क)–विरासत में आने वाले वारिस के उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा करने के लिए, इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर जिले के कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में इस आशय के शपथ–पत्र के साथ भारतीय दूतावास की लिखित पूर्वानुमति मुख्तारनामें के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) 116–ग जिले के कलेक्टर की अनुमति से मुख्तारनामें के आधार पर दिनांक 31–3–2004 के बाद विक्रय विलेख का निष्पादन, धारा 152(क)(2)–दिनांक 12–9–2003 अथवा उससे पूर्व निष्पादित मुख्तारनामें के आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 31–3–2004 के बाद करने हेतु सम्बन्धित निष्पादनकर्ता द्वारा जिले के कलेक्टर से लिखित पूर्वानुमति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। कलेक्टर के कार्यालय द्वारा ऐसे आवेदक को आवेदन–पत्र की प्राप्ति की रसीद तुरन्त दी जाएगी। जिले के कलेक्टर ऐसे मामले में सरसरी जाँच करने के उपरान्त कारण अभिलिखित करते हुए पूर्वानुमति देने अथवा न देने का आदेश पारित करेंगे। ऐसा आदेश, आवेदन–पत्र दिये जाने के 90 दिन के अन्दर पारित न किए जाने की दशा में ऐसी अनुमति स्वतः दी गई समझी जायेगी, परन्तु इसके लिए आवेदनकर्ता को इस आशय का एक शपथ–पत्र पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार उस जिले के कलेक्टर को यथाशीघ्र अग्रसारित कर देगा। जिले का कलेक्टर इस नियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग दिनांक 31–03–2005 तक ही कर सकेगा।

(4) 116–घ जिले के कलेक्टर से दिनांक 31–3–2004 के बाद विक्रय विलेख पंजीकृत करने हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करना, धारा 154(4)(1)(ख)–दिनांक 12–9–2003 अथवा उससे पूर्व निष्पादित करार के आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 31–3–2004 के बाद करने हेतु सम्बन्धित निष्पादनकर्ता द्वारा जिले के कलेक्टर से लिखित पूर्वानुमति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी प्राप्ति की रसीद तुरन्त दी जाएगी। जिले के कलेक्टर ऐसे मामले में सरसरी जाँच करने के उपरान्त कारण अभिलिखित करते हुए पूर्वानुमति देने अथवा न देने का आदेश पारित करेंगे, ऐसा आदेश, आवेदन–पत्र दिये जाने के 90 दिन के अन्दर पारित न किए जाने की दशा में ऐसी अनुमति स्वतः दी गई समझी जायेगी, परन्तु इसके लिए आवेदनकर्ता को इस आशय का एक शपथ–पत्र पंजीकरण के समय देना होगा, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार यथाशीघ्र कलेक्टर को अग्रसारित कर देगा। जिले का कलेक्टर इस नियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग दिनांक 31–03–2005 तक ही कर सकेगा।

(5) 116–ङ धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने के लिए विक्रय विलेख में प्रयोजन अंकित करना, धारा 154(4)(2)(च)–धार्मिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि क्रय की जा रही है का पूर्ण उल्लेख विक्रय विलेख में किया जायेगा।

(6) 116–च धार्मिक प्रयोजन का तात्पर्य, धारा 154(4)(2)(च)–धार्मिक प्रयोजन का तात्पर्य विभिन्न पंथों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों उद्देश्यों एवं संस्कारों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित होगा, जिसमें पूजा स्थल, प्रार्थना/कीर्तन स्थल, ध्यान केन्द्र आदि सम्मिलित होंगे।

(7) 116–छ अनुमति से भूमि क्रय हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप निर्धारण, धारा 154(4)(3)–विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय करने के लिए निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–क (शासन से अनुमति की दशा में) अथवा प्रपत्र–ख पर (जिले के कलेक्टर से अनुमति की दशा में) भूमि क्रय हेतु आवेदन–पत्र सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जो तीन प्रतियों में होगा।

(8) 116–ज शासन की अनुमति से भूमि क्रय करना, धारा 154(4)(3)(क)–विभिन्न प्रयोजनों जिनका उल्लेख धारा 154(4)(3)(क) में किया गया है के लिए भूमि क्रय हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–क पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति उसी दिन शासन में राजस्व विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदन–पत्रों का एक पंजिका में क्रमवार तिथि सहित अंकन किया जायेगा जिसमें विभाग द्वारा अंतिम संस्तुति/आख्या तथा निस्तारण की तिथि अंकित की जायेगी।

(9) 116–झ प्रशासकीय विभाग द्वारा जाँच एवं संस्तुति, धारा 154(4)(3)(क)–सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें जाँच करायेंगे और यथाशीघ्र युक्ति संगत आख्या/संस्तुति सहित शासन के राजस्व विभाग को प्रेषित करेंगे।

(10) 116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क)–शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा। आवेदन–पत्र से 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ–पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र शासन को भेजी जायेगी। सम्बन्धित आवेदनकर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

(11) 116–ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख)–कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ–पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन–पत्र प्रपत्र ख के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जाँच करायेंगे और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को 90 दिन के अन्दर लिखित रूप से सूचित करेंगे। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ–पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र उस जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकती है।

(12) 116–ड उत्तरांचल के कमजोर वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के भूमि क्रय किया जाना, धारा 154(4)(2) की उपधारा (छ), (ज), (झ) एवं (ट)–मूल अधिनियम में जोड़ी गई धारा 154(4)(2) की उपधारा (छ), (ज), (झ) एवं (ट) में उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में उस उपधारा से सम्बन्धित होने का, सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र विक्रय विलेख के साथ संलग्न करना पर्याप्त होगा।

नया प्रपत्र–क का बढ़ाया जाना — 3. मूल नियमावली में नियम 116–ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

भूमि क्रय करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन का प्रारूप

प्रपत्र–क

[धारा 154(4)(3)(क) एवं नियम–12]

1. आवेदक का नाम ______ पति/पुत्र/पुत्री श्री ______
   निवासी/ग्राम ______ तहसील ______ जिला ______
2. स्थाई पता (उत्तरांचल से बाहरी व्यक्ति हेतु) ग्राम ______ तहसील ______
   जिला ______ राज्य ______
3. वर्तमान व्यवसाय एवं पता ______
4. प्रयोजन जिस हेतु भूमि क्रय की जानी है ______
5. खरीदे जाने वाली भूमि का विवरण:
   1. जिला ______
   2. तहसील ______
   3. ग्राम/नगर ______
   4. खसरा नं0 तथा रकबा ______
6. व्यक्ति जिससे भूमि खरीदी जानी प्रस्तावित है, का विवरण:
   नाम ______ पुत्र/पुत्री श्री ______
   ग्राम ______ तहसील ______ जिला ______
7. यदि पूर्व में भी भूमि क्रय करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था तो उसका विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–
   (क) आवेदन–पत्र देने की तिथि ______
   (ख) क्या स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं ______
   (ग) यदि हाँ, तो आदेश की संख्या व तिथि ______
   (घ) भूमि क्रय हेतु दी गयी अनुमति का विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–
      (प) विक्रेता का नाम व पता ______
      (पप) जिला ______
      (पपप) तहसील ______
      (पअ) ग्राम/नगर ______
      (अ) खसरा नं0 तथा रकबा ______

8. उक्त अनुमति के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि का विवरण ——————————

——————————————————————

मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जो कुछ कहा गया है वह मेरे संज्ञान में सत्य है और कोई भी तथ्य इसमें न तो छिपाया गया है और न ही असत्य है।

दिनांक —————— आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ——————

पता ——————

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्रशासकीय विभाग की टिप्पणी—

——————————————————————

——————————————————————

हस्ताक्षर

प्रमुख सचिव/सचिव ——————

विभाग का नाम ——————

दिनांक ——————

4. उक्त नियमावली में प्रपत्र—क के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र—ख बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:— नया प्रपत्र—ख का बढ़ाया जाना

भूमि क्रय करने हेतु कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन का प्रारूप

प्रपत्र—ख

[धारा 154(4)(3)(ख) एवं नियम—15]

1. आवेदक का नाम —————— पत्नि/पुत्र/पुत्री श्री ——————
निवासी/ग्राम —————— तहसील —————— जिला ——————
2. स्थाई पता (उत्तरांचल से बाहरी व्यक्ति हेतु) ग्राम —————— तहसील ——————
जिला —————— राज्य ——————
3. वर्तमान व्यवसाय एवं पता ——————
4. प्रयोजन जिस हेतु भूमि क्रय की जानी है ——————
5. खरीदे जाने वाली भूमि का विवरण:
1. जिला ——————
2. तहसील ——————
3. ग्राम/नगर ——————
4. खसरा नं० तथा रकबा ——————
6. व्यक्ति जिससे भूमि खरीदी जानी प्रस्तावित है, का विवरण:
नाम —————— पुत्र/पुत्री श्री ——————
ग्राम —————— तहसील —————— जिला ——————

7. यदि पूर्व में भी भूमि क्रय करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था तो उसका विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–

(क) आवेदन–पत्र देने की तिथि ____________________

(ख) क्या स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं ____________________

(ग) यदि हाँ, तो आदेश की संख्या व तिथि ____________________

(घ) भूमि क्रय हेतु दी गयी अनुमति का विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–

(प) विक्रेता का नाम व पता ____________________

(पप) जिला ____________________

(पपप) तहसील ____________________

(पअ) ग्राम/नगर ____________________

(अ) खसरा नं0 तथा रकबा ____________________

8. उक्त अनुमति के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि का विवरण ____________________

____

____

मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जो कुछ कहा गया है वह मेरे संज्ञान में सत्य है और कोई भी तथ्य इसमें न तो छिपाया गया है और न ही असत्य है।

दिनांक ____________________

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ____________________

पता ____________________

केवल शासकीय प्रयोग हेतु

जाँच अधिकारी की टिप्पणी–

____

____

हस्ताक्षर

जाँच अधिकारी का नाम ____________________

पदनाम ____________________

विभाग का नाम ____________________

दिनांक ____________________

आज्ञा से,

एन0एस0 नपलच्याल,

प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

09 मई, 2007 ई०

संख्या 189/18(1)/2007–उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 230, 294 तथा 344 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) में कतिपय संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007

1–संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 116–ट एवं 116–ठ का संशोधन–

उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004, (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), के निम्नलिखित स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 116–ट एवं नियम 116–ठ के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4) (3) (क)–शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा। आवेदन–पत्र से 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र शासन को भेजी जायेगी। सम्बन्धित आवेदनकर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।	116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4) (3) (क)–शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदनकर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
116–ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154 (4) (3) (ख)–कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन	116–ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154 (4) (3) (ख)–कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन

पत्र प्रपत्र–ख के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जांच करायेंगे और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को 90 दिन के अन्दर लिखित रूप से सूचित करेंगे। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र उस जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी, इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकती है।

पत्र प्रपत्र–ख के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जांच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकती है।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 189/18(1)/2007,** dated May 09, 2007 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 09, 2007

No. 189/18(1)/2007--In exercise of the powers conferred by section 230, 294 and 344 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (U.P. Act no. 1 of 1904) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904, (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended time to time) the Governor is pleased to make the following rules with a view to make certain amendments in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Rules, 1952 (as applicable to the State of Uttarakhand) :--

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1952) (AMENDMENT) RULES, 2007

1. Short Title and Commencement--

(1) These rules may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (Amendment) Rules, 2007.

2. The shall come into force at once.

2. Substitution of Rule 116--J and 116--K--

In the Uttaranchal (Now Uttarakhand) (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (First Amendment) Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said Rules) for the existing rule 116--J and rule 116--K set out in column--1, the following rule as set out in column--2 shall be substituted, namely :--

Column–1	Column–2
Existing Rule	**Rule as hereby Substituted**
116–J Prior sanction by Govt. for purchase of land, section 154 (4) (3) (a)–A decision on the basis of merit shall taken by the Govt. to give or not to give permission for purchase of land and a speaking order shall be issued in this respect. If after submitting desired application in Form–A to the Govt., if no orders are passed by the Govt. within 90 days the applicant shall be entitled to purchase the said land on furnishing an affidavit. A copy of such affidavit shall be forwarded immediately to the Govt. by Registrar/Sub-Registrar. Orders passed under this rule shall be communicated to the applicant. Any sanction issued by the Govt. under this rule shall be valid for 180 days.	**116–J Prior sanction by Govt. for purchase of land, section 154 (4) (3) (a)**–A decision in accordance with the rules shall be taken by the Govt. to give or not to give permission for purchase of land and a speaking order shall be issued in this respect. Orders passed under this rule shall be communicated to the applicant. For unreasonable delay in disposal of a received application within an appropriate timeperiod, responsibility would be fixed. Any sanction issued by the Govt. under this rule shall be valid for 180 days.
116–K Prior sanction by the Collector of the District for the purchase of land for agricultural and horticultural purposes, section 154(4) (3) (b)–An affidavit to the effect that the land being purchased shall be used for agricultural or horticultural purpose an application in Form-B shall be presented to the Collector of the district. A receipt to this effect shall be given to the applicant. Collector of the district shall make entry such application in a register datewise and get it enquired in the manner he deems fit and pass a speaking order on merit allowing or rejecting the application for purchase of land within 90 days from the date of receipt of application. Order passed by Collector under this rule shall be valid for 180 days. From the date of submitting application if no sanction for purchase of land is received within 90 days by the applicant, the applicant can purchase land on furnishing an affidavit to this effect. A copy of such affidavit shall be sent by a Registrar/Sub-Registrar to the Collector of the district. Under this rule maximum land as provided u/s 154(1) can be purchased.	**116–K Prior sanction by the Collector of the District for the purchase of land for agricultural and horticultural purposes, section 154(4) (3) (b)**–An affidavit to the effect that the land being purchased shall be used for agricultural or horticultural purpose an application in Form–B shall be presented to the Collector of the district. A receipt to this effect shall be given to the applicant. Collector of the district shall make entry of such application in a register datewise and get it enquired in the manner he deems fit and pass a speaking order in accordance with the rules allowing or rejecting the application for purchase of land. For unreasonable delay in disposal of a received application within an appropriate timeperiod, responsibility would be fixed. Order passed by Collector under this rule shall be valid for 180 days. Under this rule maximum land as provided u/s 154(1) can be purchased.

By Order,

N. S. NAPALCHYAL,
Principal Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 26–05–2007, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 राजस्व / 238–29–05–2007–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व विभाग
संख्याः 95/XVIII(2)/2010
देहरादूनः दिनांकः // जनवरी, 2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 वर्ष 1904) सपठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 230, 294 तथा धारा 344 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 116–ट का प्रतिस्थापन। 2 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 116–ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
116-ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क) शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदन कर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गयी अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।	**116-ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क):-** शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदन कर्ता को यथास्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गयी अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ; परन्तु यह कि जहाँ ऐसी भूमि का बैनामा अपरिहार्य कारणों से अनुमति की वैधता अवधि में निष्पादित न हो सका हो, वहाँ, शासन, शपथपत्र में उल्लिखित ऐसे अपरिहार्य कारणों पर विशिष्ट मामलों पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमति की वैधता अवधि को छः छः माह के लिए दो बार तक अर्थात कुल एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगा।

नियम 116-ठ का प्रतिस्थापन।

3 उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 116-ठ के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
116-ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख) कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा,	**116-ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख):-** कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, आवेदन पत्र प्रपत्र-'ख' के

आवेदन पत्र प्रपत्र—'ख' के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझे उस पर जॉच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा—154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकती है।

साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझे उस पर जॉच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ;

परन्तु यह कि जहॉं ऐसी भूमि का बैनामा अपरिहार्य कारणों से अनुमति की वैधता अवधि में निष्पादित न हो सका हो, वहॉं, शासन, शपथपत्र में उल्लिखित ऐसे अपरिहार्य कारणों पर विशिष्ट मामलों पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमति की वैधता अवधि को छः छः माह के लिए दो बार तक अर्थात कुल एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकेगी।

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 95 XXVIII(II) /2010 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– महानिबन्धक, निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
7– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नियमावली को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 (खण्ड ख) दिनांक–11.1.2010 में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियां प्राथमिकता के आधार पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।